

डिकी बमूकहमें हब्दाई राजस्व लोक अदालत अभियान
(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी) न्याय आपके द्वार-2018
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-जायल

मु0न0 278/2017

वादीगण-

1. शंकरलाल
2. रामनिवास
3. रामगोपाल उर्फ गोपाल
4. श्रवण पुत्रगण पेमाराम जातियान जाट निवासीगण जायल तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. सुवादेवी पत्नी किसनाराम
2. मांगीलाल पुत्र किसनाराम
3. रामदेव पुत्र किसनाराम
4. झुमरराम पुत्र किसनाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र सुगनी
6. दोलाराम पुत्र सुगनी
7. कौशलया
8. मोहनी
9. पुष्पा
10. लीला पुत्रिया सुगनी
11. बाउडी पुत्री किसनाराम
12. पतासी पुत्री किसनाराम
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-23.05.2018

यह मुकहमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 से 4 शंकरलाल,रामनिवास,रामगोपाल उर्फ गोपाल, श्रवण के सामलाती हक बंट में मौजा जायल के खेत ख नं 510 रकबा 04.01 बीघा , ख नं 523 रकबा 19.18 बीघा, ख नं 1627 रकबा 03.08 बीघा पूरा व ख नं 1633 रकबा 02.18 बीघा में से 02.16 बीघा उतरी हिस्सा रखा जाकर खातेदार घोषित किये जाते है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के सामलाती हक बंट में मौजा जायल का खेत ख नं 1633 रकबा 02.18 बीघा में से 0.02 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बावत x खर्चा इस मुकहमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.05.2018 को जारी किया गया



बन्ध सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दे	रूपये	पैसे	मुदायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमी"नर		
पत्रिम कमी"नर			वावत् इजराय हुक्मीजान		
वक्फ, इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फर्कीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।



राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुन्दर प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- जायल

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/344

दिनांक-23.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर